

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र :-	उ० प्र० राज्य
(ii)	जिला :-	बाराबंकी
(iii)	वन प्रभाग:-	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.221392 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति:-	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	शून्य है।
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.2
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास / झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/ रकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें?	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिच्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम-7, 8, व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्नक करें)	संलग्नक है
12	विभाग/ जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	3891.50 वर्ग किमी० अथवा 389150.00 हे०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	55.05925 वर्ग किमी० अथवा 5505.925 हे०
(iv)	1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	69 मामले, क्षेत्रफल 293९881639 हे०
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	400.099907 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	रिक्त
	(क) वन भूमि पर	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	367.914734 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश दिनांक: 26/5/07 स्थान: 26/5/07	जनहित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर/ मोहर
प्रभागीय निदेशक
सांवांवन प्रभाग
बाराबंकी